न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

अधिग्रहण वाद सी0आर0एम0-18/2010-11

सरकार बनाम परमानंद हरिजन

Annexure-14

Sl. no of Order and Date	Order and officer Signature	Action taken on order and date
	अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के पत्रांक 410/आपूर्ति, दिनांक 28.08.2010 द्वारा बगहा थाना कांड संख्या-14/10 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत जप्त 5(पॉच) बोरा लगभग 2 क्वींटल 50 किलोग्राम चावल को अधिहरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। विपक्षी परमानन्द हरिजन को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस दी गई कि, क्यो नहीं उक्त चावल को अधिगृहित कर लिया जाए। विपक्षी द्वारा कारण पृच्छा दाखिल की गई है। उनका कहना है कि, जप्त चावल उनका नहीं है, और उससे उनको कोई मतलब भी नहीं है। उनका यह भी कहना है कि, यदि सरकार द्वारा जप्त खाद्यान्न को अधिगृहित कर लिया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। चूँकि अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा जप्त खाद्यान्न को अधिगृहित करने हेतु अनुशंसा की गई है एवं विपक्षी जप्त खाद्यान्न से अपना कोई संबंध नहीं बताता है। इस परिस्थिति में जप्त चावल को धारा 6(क) के अंतर्गत अधिग्रहित किया जाता है एवं प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, बगहा-2 को आदेश दियाजाता है कि, वे जप्त चावल को सरकारी मूल्य पर बिक्री कर उससे प्राप्त राशि को चालान के माध्यम से कोषागार में जमा कर चालान की एक प्रति इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे। जिला दंडाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।	